न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 08/2021
GCMS No-2021/28

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		ओम प्रकाश पुत्र गोलुरामजी गुर्जर (विक्रेता) मोटर साईकिल आर.जे. 22 पी. एस. 7463, साई बाबा मन्दिर के पास, हाउसिंग बोर्ड पाली निवासी गुजरो का ढाणा, बागडिया, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.05.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 19.05.2020 को प्रार्थी ने दौराने गश्त हाउसिंग बोर्ड पाली पर अप्रार्थी को मोटर साईकिल नम्बर आरजे 22 पीएस 7463 पर साईबाबा मन्दिर पाली पर पहुँचा, वहाँ अप्रार्थी की उपस्थिति में उसकी मोटर साईकिल पर दो दुध के ड्रम भरे हुए थे जिसका निरीक्षण करने पर पाया की आमजन में बिक्री हेतु ड्रम में 38 से 40 लीटर दुध भरा हुआ था, जिनमें मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात दो लीटर दुध को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा दुध को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर 40–40 बुंद डाली गई, उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1063 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./241/एक्ट/2020/241 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना दुध को sub-standard का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य दुध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया कि उससे भूल हो गई तथा भविष्य में कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। अतः माफ कराने का कष्ट करावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को दौराने गश्त अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र गोलुराम गर्जर मालिक (विक्रेता) को मोटर साईकिल पर दुध बेचाण करते हुए मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा उनकी उपस्थिति में तैयार मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए दुध को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1063 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./241/एक्ट/2020/241 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1064 को Sub-Standard अमानक माना है। जिसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2020/6471–472 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा विक्रेता को भिजवाकर उनके द्वारा पुनः जांच करवाना चाहते है तो निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि में पुनः जांच करवाने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच नहीं करवाए जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा मिक्स दुध जो जॉच में Sub-Standard पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है एवं इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खाद्य गाय के दुध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी ओमप्रकाश पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 11.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली